क्रम-संख्या–153

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021

भाद्रपद 2, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 799 / 79–वि–1–21–1–क–25-21

लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विनियोग (2021–2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 जिससे वित्त (आय–व्यय) अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2021–2022 का अनुपूरक) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2021–2022 का अनुपूरक) अधिनियम, 2021 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2021-2022 के लिए 7301,51,58,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2022 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ- 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 7301,51,58,000 रुपये (रुपये सात हजार तीन सौ एक करोड़ इक्यावन लाख अट्ठावन हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
07	उधोग विभाग (भारी एवं मध्यम उधोग)	राजस्व :	300001.00	--	300001.00
		पूंजी :	15000.00	--	15000.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	150000.00	1723.95	151723.95
		पूंजी :	--	1354.76	1354.76
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	66.50	--	66.50
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	पूंजी :	4062.00	--	4062.00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	26308.85	--	26308.85
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	30000.00	--	30000.00
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	128.38	--	128.38
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उधोग)	पूंजी :	20000.00	--	20000.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	4788.00	--	4788.00
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	12978.00	--	12978.00
39	भाषा विभाग	राजस्व :	1000.00	--	1000.00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	29700.00	--	29700.00
		पूंजी :	300.00	--	300.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	9184.00	--	9184.00
		पूंजी :	500.00	--	500.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	26570.46	--	26570.46
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	253.71	--	253.71
		पूंजी :	823.53	--	823.53

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	15410.15	--	15410.15
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	--	28.55	28.55
84	सामान्य प्रशासन विभाग	पूंजी :	24969.74	--	24969.74
86	सूचना विभाग	राजस्व :	50000.00	--	50000.00
92	संस्कृति विभाग	पूंजी :	5000.00	--	5000.00
	योग :	राजस्व :	656389.05	1752.50	658141.55
		पूंजी :	70655.27	1354.76	72010.03
	महायोग :		727044.32	3107.26	730151.58

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2021–2022 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2021–2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———

No. 799(2)/LXXIX-V-1–21-1-Ka-25-21
Dated Lucknow, August 24, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog (2021-2022 Ka Anupoorak) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Vitta (Aay-Vyayak) Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (SUPPLEMENTARY 2021-2022) ACT, 2020

(U.P. Act no. 22 of 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2022.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation (Supplementary 2021-2022) Act, 2021.

Issue of Rs. 7301,51,58,000 out of the Consolidated Fund of the state of Uttar Pradesh for the year 2021-2022

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 7301,51,58,000 (Rs. Seven thousand three hundred one crore fifty one lac fifty eight thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2022 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the state of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2022.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
07	Industries Department (Heavy and Medium Industries)	Revenue :	300001.00	--	300001.00
		Capital :	15000.00	--	15000.00
09	Power Department	Revenue :	150000.00	1723.95	151723.95
		Capital :	--	1354.76	1354.76
11	Agriculture and Other Allied Departments (Agriculture)	Revenue :	66.50	--	66.50
13	Agriculture and Other Allied Departments (Rural Development)	Capital :	4062.00	--	4062.00
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj)	Revenue :	26308.85	--	26308.85
15	Agriculture and Other Allied Departments (Animal Husbandry)	Revenue :	30000.00	--	30000.00
19	Personnel Department (Training and Other Expenditure)	Revenue :	128.38	--	128.38
24	Cane Development Department (Sugar Industry)	Capital :	20000.00	--	20000.00
26	Home Department (Police)	Revenue :	4788.00	--	4788.00
35	Medical Department (Family Welfare)	Revenue :	12978.00	--	12978.00
39	Language Department	Revenue :	1000.00	--	1000.00
41	Election Department	Revenue :	29700.00	--	29700.00
		Capital :	300.00	--	300.00

SCHEDULE

(Contld):

1	2		3		
Grant/Serial	Services and purposes		Sums not exceeding (In lakhs)		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
42	Judicial Department	Revenue :	9184.00	--	9184.00
		Capital :	500.00	--	500.00
49	Women & Child Welfare Department	Revenue :	26570.46	--	26570.46
67	Legislative Council Secretariat	Revenue :	253.71	--	253.71
		Capital :	823.53	--	823.53
71	Education Department (Primary Education)	Revenue :	15410.15	--	15410.15
82	Vigilance Department	Revenue :	--	28.55	28.55
84	General Administration Department	Capital :	24969.74	--	24969.74
86	Information Department	Revenue :	50000.00	--	50000.00
92	Culture Department	Capital :	5000.00	--	5000.00
	Total :	Revenue :	656389.05	1752.50	658141.55
		Capital :	70655.27	1354.76	72010.03
	Grant Total :		727044.32	3107.26	730151.58

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 *read* with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

This Bill provides for the appropriation out of the Consolidated fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary expenditure Charged on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2021-2022.

The Uttar Pradesh Appropriation (Supplementary 2021-2022) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 262 राजपत्र–2021–(590)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 78 सा0 विधायी–2021–(591)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।